



## राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक— परीक्षा 5—अ/व्यावसायिक./2020/ 781444

दिनांक: 11/02/2020

बी.एड., बी.ए.— बी.एड./बी.एस.सी.—बी.एड., B.Ed. (Ord. 326 D) एवं एल.एल.बी., एल.एल.एम. तथा विधि डिप्लोमा  
परीक्षा, 2020 के परीक्षा फार्म भरवाने सम्बन्धी विज्ञप्ति

राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त जयपुर एवं दौसा जिलों के समस्त बी.एड. भाग प्रथम/द्वितीय, B.A./B.Sc.-B.Ed. Pt-I, II, III के नियमित एवं पूर्व छात्र एवं B.Ed: (Ord. 326 D); तथा LL.B.-I, II, III, LL.M. (Prev./Final) एवं P.G. Diploma in Labour Law, Taxation, Criminology, Environmental Law पाठ्यक्रमों के नियमित, पूर्व-छात्र एवं बकाया प्रश्न पत्र तथा पूर्व में सम्बद्ध रहे सीकर, झुन्झुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर जिलों के समस्त विधि महाविद्यालयों के छात्रों के LL.B.-I, II, III के (Due Paper) की परीक्षा, 2020 के छात्रों को सूचित किया जाता है कि उनके परीक्षा—2020 के परीक्षा फार्म वेबसाइट [www.univraj.org](http://www.univraj.org) से भरने की तिथियाँ निम्नानुसार बढ़ाई जाती हैं:-

1 बिना विलम्ब शुल्क	11.02.2020 से 15.02.2020 तक
2 100/- रुपये विलम्ब शुल्क सहित	16.02.2020 से 20.02.2020 तक
3 500/- रुपये विलम्ब शुल्क सहित	21.02.2020 से 25.02.2020 तक


परीक्षा आवेदन—पत्र भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश, परीक्षा फीस का विवरण की सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट [www.uniraj.ac.in](http://www.uniraj.ac.in) पर अपलोड कर दी गई है।

**नोट:-** परीक्षा फार्म भरने सम्बन्धी समस्या के लिए हेल्पलाईन नम्बर 7726953531, टोल फ्री हेल्पलाईन नम्बर 18001806433 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

*धन्यवाद  
11/02/2020*  
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. (i) समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि वे यह सुनिश्चित करलें कि नियमित, पूर्वात्र परीक्षार्थियों के परीक्षा फॉर्म सही है एवं दो प्रतियों में परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी वांछित दस्तावेजों के साथ संलग्न हैं।
2. निर्धारित परीक्षा शुल्क का विवरण, दिशा निर्देश में अंकित है जो विश्वविद्यालय वेबसाइट [www.uniraj.ac.in](http://www.uniraj.ac.in) एवं [www.univraj.org](http://www.univraj.org) पर उपलब्ध है। विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार में कृपया महाविद्यालय कोड आवश्यक रूप से अंकित करें।
- (ii) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा बी.एड. पार्ट-प्रथम एवं द्वितीय हेतु आवंटित सीटों एवं आवंटित विषयों के अनुसार ही नियमित छात्रों से फार्म भरवाए गए हैं, इस आशय का शपथ—पत्र संबंधित प्राचार्यों द्वारा परीक्षा फॉर्मों के साथ संलग्न करना होगा।
- (iii) सम्बन्धित महाविद्यालय, परीक्षा आवेदन—पत्र अग्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थी उस कक्षा की पात्रता पूर्ण करता है तथा उसके परीक्षा आवेदन—पत्र की सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ पूर्ण रूप से सही भरी जा चुकी हैं। यदि आवेदन—पत्र में किसी प्रकार की प्रविष्टि जैसे — परीक्षार्थी के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, पूर्व में उत्तीर्ण किए गये अनिवार्य विषयों के नाम, प्राप्त अंकों का विवरण, पूर्व की परीक्षा के अनुक्रमांक अथवा परीक्षार्थी के नामांकन आदि नहीं पाये जाते हैं तो उन्हें परीक्षार्थी द्वारा पूर्ण करवाने के पश्चात् ही परीक्षा आवेदन—पत्र अग्रेषित करें। महाविद्यालय द्वारा यह ध्यान रखा जाना है कि आवेदन—पत्र की कम्प्यूटर प्रति ऊपर रखें तथा उसके नीचे कार्यालय प्रति मय आवश्यक समस्त दस्तावेज एवं पूर्व में उत्तीर्ण आवश्यक अकंतालिकाएँ आदि संलग्न हो। उपरोक्त कारणों से परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त होने की स्थिति में सम्बन्धित महाविद्यालय स्वयं ही जिम्मेवार होगा।
3. समस्त महाविद्यालय अपने परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन फॉर्म मय आवश्यक दस्तावेज दिनांक 28.02.2020 तक आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करवाए उसके पश्चात् परीक्षा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
4. निदेशक, इन्फोनेट सेंटर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित करवाने की व्यवस्था करें।
5. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वे यह सुनिश्चित करने का श्रम करें कि परीक्षा—2020 हेतु बैंक गेटवे द्वारा जमा किये गये परीक्षा शुल्क राशि विश्वविद्यालय के मुख्य बैंक खातों में जमा करवा दी गई है एवं जमा विवरण प्राप्त कर Reconcile करवाने का श्रम करें।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के जयपुर एवं दौसा जिलों में प्रसारित होने वाले मुख्य समाचार पत्रों (राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर) में एक बार प्रकाशित करवाने एवं समाचार के रूप में भी प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।
7. प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.आई, बैंक, बापू नगर ब्रांच, विश्वविद्यालय केम्पस, जयपुर।
8. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव/निजी सहायक, परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. समस्त उप—कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/अनुभाग अधिकारी परीक्षा संचालन व गोपनीय अनुभाग/शैक्षणिक –द्वितीय/सेलर—।, परीक्षा विविध, रिकार्ड शाखा, रोकड़ शाखा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. निदेशक, छात्र सलाहकार केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
11. छात्र सेवा एवं परामर्श केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
12. सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म।

  
उप कुलसचिव (परीक्षा)